

राजस्व प्रार्थना पत्र 86/2024  
जीसीएमएसम नंबर 2024/327  
सुखराम पुत्र देरामाराम वनाम् सरकार

सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि सुखराम एवं सुखाराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम जालनियासर के खाता संख्या 165 में दर्ज खातेदार नाम सुखराम पुत्र देरामाराम के स्थान पर वास्तविक नाम सुखा राम पुत्र देरामा राम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- :: आदेश :: -

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे तहसील डेह के ग्राम पंचायत जालनियासर के खाता संख्या 165 में दर्ज खातेदार नाम सुखराम पुत्र देरामाराम के स्थान पर वास्तविक नाम सुखा राम पुत्र देरामा राम दुरुस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.11.24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



(अभिलाषा)  
उपस्थित अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, जायल